

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ॥ - खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 2381

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/आयाद 17, 1937

No. 2381

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ASADHA 17, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

सं. एल-1/148/2014/केविविआ.-केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178(1) और 178(2)(यङ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (छर्जा प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नंलिखित विनियम बनाता है:

- 1. सक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
 - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 है।
 - (2) ये विनियम 1 जून 2015 से प्रवृत होंगे।
- 2. **गूल विनियम के विनियम 4 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (3) के पश्चात् एक नया खंड निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:
 - "3(क) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्युत प्रणाली के विकास के हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कोई योजना, जिसमें योजना के भाग के रूप में पीएसडीएफ से सहायता अपेक्षित है, पीएसडीएफ से सहायता के लिए पात्र होगी।"

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III / 4 / असा / 150 / 15 / 129]

टिप्पणः मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III. खंड 4, क्रम संख्या 171 तारीख 10.6.2014 को प्रकाशित किए गए

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2015

No. L-1/148/2014/CERC .— In exercise of the powers conferred under Section 178 (1) and 178 (2) (ze) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations, 2014 (hereinafter referred to as "The Principal Regulations"):

1. Short title, extent and commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) (First Amendment) Regulations, 2015.
- (2) These regulations shall come into force with effect from 1st June, 2015.
- 2. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations: A new clause shall be added after clause (3) of Regulation 4 of Principal Regulations as under, namely:
 - "3(A) Notwithstanding anything contained in these regulations, any scheme sanctioned by the Central Government in the interest of development of power system which requires support from PSDF as part of the scheme shall be eligible for assistance from PSDF."

SHUBHA SARMA, Secv.

[ADVT. III/4/Exty./150/15/129]

Note: The Principal Regulations were published on 10th June, 2014 in the Gazette of India Extraordinary Part III-Section 4 at Serial No.171.